



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22082022-238239
CG-DL-E-22082022-238239

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571]
No. 571]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 2022/श्रावण 31, 1944
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 2022/SHRAVANA 31, 1944

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2022

सा.का.नि. 646(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (एए) और (एबी) एवं धारा 47 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली, 2004 और विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण और अंतरण) विनियमावली, 2015 का अधिक्रमण करते हुए, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या छोड़े गए कार्यों के अलावा, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) नियमावली, 2022 कहा जाएगा।

(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(ए) "अधिनियम" का अर्थ है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42);

(बी) "प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक" या "एडी बैंक" का अर्थ अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के तहत प्राधिकृत व्यक्ति से है और इन नियमों के प्रयोजनों से एडी बैंक का अर्थ ऐसे एडी बैंक की केवल घरेलू शाखाओं से होगा;

- (सी) "नियंत्रण" का अर्थ है अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार या प्रबंधन अथवा नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कार्य कर रहे हों, जिसमें वे भी शामिल हैं जो अपनी शेयरधारिता अथवा प्रबंधन अधिकारों अथवा शेयरधारकों के करारों या मतदान करारों के बल पर उक्त संस्था में दस प्रतिशत या अधिक का मतदान अधिकार अथवा किसी अन्य प्रकार का अधिकार रखते हैं;
- (डी) "विनिवेश" का अर्थ है इन नियमों के तहत अर्जित इक्विटी पूंजी के अधिकार, हक या कब्जे का आंशिक या पूर्ण निर्वापन;
- (ई) "इक्विटी पूंजी" का अर्थ है इक्विटी शेयर या स्थायी पूंजी या लिखत जो अप्रतिदेय हों अथवा पूरी तरह से और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय लिखतों के रूप में किसी विदेशी संस्था की ऋण से इतर पूंजी में अंशदान;
- (एफ) "वित्तीय प्रतिबद्धता" का अर्थ है पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किए गए निवेश की कुल राशि, पारदेशीय पोर्टफोलियो निवेश से भिन्न ऋण जो उस संस्था अथवा संस्थाओं में किया गया हो जिनमें पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश किया गया है, और इसमें ऐसी विदेशी संस्था अथवा संस्थाओं को अथवा उनकी ओर से ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गयी गैर-निधि-आधारित सुविधाएँ भी शामिल होंगी;
- (जी) "वित्तीय सेवा विनियामक" का अर्थ भारत में लागू किसी भी कानून के तहत स्थापित कोई वित्तीय सेवा विनियामक है और इसमें रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण शामिल हैं;
- (एच) "विदेशी संस्था" का अर्थ है भारत के बाहर, जिसमें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ केंद्र शामिल हैं, गठित या पंजीकृत या निगमित कोई संस्था जिसकी सीमित देयता है:
- बशर्ते सीमित देयता का उक्त प्रतिबंध ऐसी संस्था पर लागू नहीं होगा जिसका प्रमुख क्रियाकलाप किसी रणनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है ;
- (आई) "मेजबान देश" या "मेजबान क्षेत्राधिकार" का अर्थ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सहित वह देश या क्षेत्राधिकार है, जिसमें उक्त विदेशी संस्था का गठन, पंजीकरण या निगमन, जैसा भी मामला हो, हुआ है;
- (जे) "भारतीय संस्था" का अर्थ है-
- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के तहत परिभाषित कंपनी;
- (ii) तत्समय लागू किसी कानून द्वारा निगमित निकाय;
- (iii) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के तहत विधिवत गठित और निगमित कोई सीमित देयता भागीदारी फर्म; तथा
- (iv) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के तहत पंजीकृत कोई साझेदारी फर्म।
- (के) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" या "आईएफएससी" का वही अर्थ होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 के खंड (छ) में दिया गया है;
- (एल) "अंतिम लेखापरीक्षित तुलन-पत्र" का अर्थ वह तुलन-पत्र होगा जो लेनदेन की तारीख से 18 माह से ज्यादा पहले की तारीख की स्थिति के अनुसार तैयार न किया गया हो;
- (एम) "सूचीबद्ध विदेशी संस्था" का अर्थ है कोई विदेशी संस्था जिसके इक्विटी शेयर या कोई भी अन्य पूर्ण और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय लिखत भारत के बाहर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं;
- (एन) "सूचीबद्ध भारतीय कंपनी" का अर्थ है कोई भारतीय कंपनी जिसके इक्विटी शेयर या कोई भी अन्य पूर्ण और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय लिखत भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और इसी के अनुरूप "असूचीबद्ध भारतीय कंपनी" का अर्थ लगाया जाएगा;
- (ओ) "म्यूचुअल फंड" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में इस प्रकार से पंजीकृत कोई निधि है;

(पी) "निवल मालियत" का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (57) में दिया गया है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों से, पंजीकृत साझेदारी फर्म या सीमित देयता भागीदारी की "निवल मालियत" अंतिम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार भागीदारों के पूंजी अंशदान और भागीदारों के अविभाजित लाभ के योग में से संचित हानियों, आस्थगित व्यय और बट्टे खाते न डाले गए विविध व्यय के कुल मूल्य को घटाने पर प्राप्त राशि होगी;

(क्यू) "विदेशी प्रत्यक्ष निवेश" या "ओडीआई" का अर्थ है किसी विदेशी संस्था की असूचीबद्ध इक्विटी पूंजी के अधिग्रहण के माध्यम से निवेश, या किसी विदेशी संस्था के बहिर्नियमों के एक भाग के रूप में अंशदान, या किसी सूचीबद्ध विदेशी संस्था की चुकता इक्विटी पूंजी के दस प्रतिशत या उससे अधिक में निवेश, या नियंत्रण के साथ निवेश जहाँ किसी सूचीबद्ध विदेशी संस्था की चुकता इक्विटी पूंजी के दस प्रतिशत से कम राशि का निवेश हो;

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों से, जहां भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा किसी विदेशी संस्था की इक्विटी पूंजी में निवेश को ओडीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे निवेश को ओडीआई के रूप में माना जाना जारी रहेगा, भले ही यह निवेश चुकता इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से नीचे के स्तर पर आ जाए या वह व्यक्ति उस विदेशी संस्था पर अपना नियंत्रण खो दे;

(आर) "पारदेशीय निवेश" या "ओआई" का अर्थ भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा दी गयी वित्तीय प्रतिबद्धता और उसका पारदेशीय पोर्टफोलियो निवेश है;

(एस) "पारदेशीय पोर्टफोलियो निवेश" या "ओपीआई" का अर्थ है विदेशी प्रतिभूतियों में ओडीआई से भिन्न निवेश, लेकिन यह निवेश किसी असूचीबद्ध ऋण लिखतों में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति, जो आईएफएससी में न हो, द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में न किया गया हो:

वशर्ते भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा किसी सूचीबद्ध संस्था की इक्विटी पूंजी में किया गया ओपीआई उक्त संस्था के असूचीबद्ध हो जाने के बाद भी ओपीआई तब तक माना जाता रहेगा जब तक उसमें कोई और निवेश न किया जाए।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों से, "ऋण लिखत" पद का अर्थ नियम 5 के खंड (ए) में इस रूप में निर्दिष्ट लिखतों से है;

(टी) "रिश्तेदार" का वही अर्थ लिया जाएगा जो कंपनी अधिनियम, 2013, (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (77) में दिया गया है;

(यू) "निवासी व्यक्ति" का अर्थ है भारत में निवासी व्यक्ति जो एक नैसर्गिक व्यक्ति है;

(वी) "निवासी विदेशी मुद्रा खाता" या "आरएफसी खाता" का वही अर्थ होगा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 में दिया गया है;

(डब्ल्यू) "सेबी" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड है;

(एक्स) "सोसाइटी" का अर्थ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी है;

(वाई) किसी विदेशी संस्था की "अनुषंगी" या "उप अनुषंगी" का अर्थ एक ऐसी संस्था है जिसमें उस विदेशी संस्था का नियंत्रण होता है;

(जेड) "रणनीतिक क्षेत्र" में ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र शामिल होंगे जैसे तेल, गैस, कोयला, खनिज अयस्क, पनडुब्बी केबल प्रणाली और स्टार्ट-अप और कोई भी अन्य क्षेत्र या उप-क्षेत्र जिसे कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए;

(जेडए) "स्वेद इक्विटी शेयर" का अर्थ है ऐसे इक्विटी शेयर जो किसी पारदेशीय संस्था द्वारा अपने निदेशकों या कर्मचारियों को छूट पर या नकद के अलावा अन्य प्रतिफल के रूप में, उनके द्वारा तकनीकी जानकारी प्रदान किए जाने के बदले या बौद्धिक संपदा अधिकार उपलब्ध करवाने या गुणात्मक वृद्धि करने, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए, के बदले जारी किए जाते हैं;

(जेडबी) "न्यास" का अर्थ भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) के तहत पंजीकृत न्यास है;

(जेडसी) "जोखिम पूँजी निधि" का अर्थ सेबी में इसी रूप में पंजीकृत एक निधि है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों में दिए गए हैं।

3. इन नियमों का क्रियान्वयन.- (1) इन नियमों का क्रियान्वयन रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

(2) रिज़र्व बैंक ऐसे निदेश, परिपत्र, अनुदेश और स्पष्टीकरण जारी कर सकता है जो वह इन नियमों के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझे।

4. कुछ मामलों में इन नियमों और उनसे संबंधित विनियमों का लागू न होना.- निम्नलिखित पर इन नियमों या विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 में से कुछ भी लागू नहीं होगा -

(ए) किसी आईएफएससी में स्थित वित्तीय संस्थान द्वारा भारत के बाहर किया गया कोई निवेश;

(बी) भारत के बाहर किए गए निम्नलिखित में से किसी भी निवेश का अधिग्रहण या अंतरण-

(i) निवासी विदेशी मुद्रा खाते में से; या

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर रखे गए विदेशी मुद्रा संसाधनों में से, जो भारत में किसी विशिष्ट अवधि के लिए नियोजित है, चाहे वह अवधि कुछ भी हो या किसी विशिष्ट नौकरी या कार्यभार के लिए जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो; या

(iii) अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) के अनुसार।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों से, "वित्तीय संस्था" पद का वही अर्थ होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) में इसके लिए निर्दिष्ट है।

5. ऋण लिखत और गैर-ऋण लिखत.- अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (7) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित ऋण लिखत और गैर-ऋण लिखत निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

(ए) ऋण लिखत:

(i) सरकारी बंध पत्र;

(ii) कॉरपोरेट बंध पत्र;

(iii) प्रतिभूकरण संरचना के सभी अंश जो इक्विटी अंश नहीं हैं;

(iv) फर्मों द्वारा ऋणों के माध्यम से लिए गए उधार; तथा

(v) निक्षेपागार प्राप्तियाँ जिनकी अंतर्निहित प्रतिभूतियाँ ऋण प्रतिभूतियाँ हैं;

(बी) गैर-ऋण लिखत:

(i) निगमित संस्थाओं (सरकारी, निजी, सूचीबद्ध और असूचीबद्ध) के इक्विटी में सभी निवेश;

(ii) सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) में पूंजीगत भागीदारी;

(iii) समय-समय पर यथा अधिसूचित विदेशी निवेश नीति में यथा मान्यताप्राप्त निवेश की सभी लिखतें;

(iv) वैकल्पिक निवेश निधि (आईएआईएफ) और भू-संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) और अवसंरचना निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) की यूनिटों में निवेश;

(v) म्यूचुअल फंडों और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) जो इक्विटी में 50 प्रतिशत से अधिक निवेश करती है, की यूनिटों में निवेश;

(vi) प्रतिभूतीकरण संरचना का न्यूनतम स्तर (अर्थात् इक्विटी अंश);

- (vii) स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण, विक्रय या प्रत्यक्षतः व्यवहार;
- (viii) न्यासों को अभिदाय; तथा
- (ix) इक्विटी लिखतों के प्रति जारी की गयी निक्षेपागार रसीदें;

6. कुछ निवेशों की निरंतरता.- भारत के बाहर किसी भी निवेश या वित्तीय प्रतिबद्धता जिसे इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार किया गया है और जो आधिकारिक राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को धारित हों, उन्हें इन नियमों और विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 के तहत किया गया माना जाएगा।

7. राइट्स इश्यू और बोनस शेयर.- (1) भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति जिसने अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार किसी विदेशी संस्था की इक्विटी पूंजी हासिल की है और अभी भी धारित कर रहा है-

- (ए) ऐसी संस्था द्वारा जारी इक्विटी पूंजी में राइट्स इश्यू के रूप में निवेश कर सकता है; या
- (बी) उसे इन नियमों के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन बोनस शेयर दिए जा सकते हैं।

(2) भारत में निवासी ऐसा व्यक्ति जो उपर्युक्त उप-नियम (1) के तहत राइट्स अर्जित करता है, वह भारत में निवासी किसी व्यक्ति या भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति के पक्ष में ऐसे अधिकारों का त्याग कर सकता है।

8. भारत के बाहर निवेश पर निषेध.- अधिनियम या इन नियमों अथवा अधिनियम के तहत बनाई गयी विनियमावली या जारी किए गए निदेशों में अन्यथा किए गए उपबंधों को छोड़कर, भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति भारत के बाहर कोई निवेश या वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं करेगा या या उसको अंतरित नहीं करेगा।

9. पारदेशीय निवेश.- (1) इन नियमों में या विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 में किए गए प्रावधानों को छोड़कर, भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किया गया कोई भी निवेश ऐसी विदेशी संस्था, जो वास्तविक व्यावसायिक क्रियाकलाप में संलग्न हो, में किया जाएगा जो इन नियमों और उक्त विनियमावली में निर्धारित सीमाओं और शर्तों के अधीन, सीधे या उप अनुषंगी के माध्यम से अथवा विशेष प्रयोजन माध्यमों से किया जाएगा:

बशर्ते उस विदेशी संस्था की ऐसी अनुषंगी या उप-अनुषंगी की संरचना विदेशी संस्था के लिए विहित संरचनात्मक अपेक्षाओं का पालन करती हो:

बशर्ते यह भी कि पाकिस्तान अथवा किसी भी अन्य क्षेत्राधिकार, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाए, में गठित, पंजीकृत या निगमित किसी विदेशी संस्था में पारदेशीय निवेश और उसके अंतरण के लिए केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

स्पष्टीकरण- इस उप-नियम के प्रयोजनों से, "वास्तविक व्यावसायिक कार्यकलाप" का अर्थ भारत और मेजबान देश या मेजबान क्षेत्राधिकार, जैसा भी मामला हो, में लागू किसी भी कानून के तहत अनुमत कोई भी व्यावसायिक कार्यकलाप होगा:

(2) इन नियमों या विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 में किसी बात के होते हुए भी,-

- (i) केंद्र सरकार, रिज़र्व बैंक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, इन नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक वित्तीय प्रतिबद्धता की अनुमति रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों या भौगोलिक प्रदेशों के लिए उन शर्तों के अधीन दे सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे।
- (ii) रिज़र्व बैंक, नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से आवेदन किए जाने पर, पर्याप्त कारणों से भारत में निवासी व्यक्ति को भारत के बाहर किसी भी प्रकार का निवेश या वित्तीय प्रतिबद्धता करने या उन्हें अंतरित करने की अनुमति ऐसी शर्तों के अधीन दे सकता है, जो रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की गयी हों:

बशर्ते भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा पारदेशीय निवेश ऐसे किसी देश या अधिकार क्षेत्र में स्थित किसी विदेशी संस्था में नहीं किया जाएगा जिसका निर्णय केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर लिया जाए।

- (3) रिज़र्व बैंक, यदि वह आवश्यक समझे, केंद्र सरकार से परामर्श करते हुए
- (i) वित्तीय प्रतिबद्धता के कारण या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रूप में वित्तीय वर्ष के दौरान कुल बहिर्वाह की सीमा निर्धारित कर सकता है;
- (ii) भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किसी एक वित्तीय वर्ष में दी जाने वाली वित्तीय प्रतिबद्धता की उस सीमा का निर्धारण कर सकता है जिससे अधिक राशि होने पर उसकी पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा।

10. अनापत्ति प्रमाण पत्र.-

(1) भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति, जो,-

- (i) एक ऐसे खाते का धारक है, जो अनर्जक आस्ति के रूप में दिख रहा है; या
- (ii) किसी बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में उसे वर्गीकृत किया गया है; या
- (iii) भारत में किसी वित्तीय सेवा विनियामक या जांच एजेंसी, यथा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या प्रवर्तन निदेशालय या गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय द्वारा जांच के अधीन है,

उसे इन नियमों या विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 के तहत कोई वित्तीय प्रतिबद्धता या विनिवेश करने से पहले, ऐसे ऋणदाता बैंक या विनियामक निकाय या संबंधित जांच एजेंसी को लिखित रूप में आवेदन करके ऐसे ऋणदाता बैंक या विनियामक निकाय या जांच एजेंसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

वशर्ते जहां संबंधित ऋणदाता बैंक या नियामक निकाय या संबंधित जांच एजेंसी ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाती है, तो यह माना जाएगा कि प्रस्तावित लेनदेन पर उसे कोई आपत्ति नहीं थी।

(2) उप-नियम (1) के तहत जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित ऋणदाता बैंक या विनियामक निकाय या जांच एजेंसी द्वारा नामित एडी बैंक को संबोधित किया जाएगा और इसका पृष्ठांकन आवेदक को भेजा जाएगा।

11. भारतीय संस्था द्वारा पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश करने का तरीका.- भारतीय संस्था अनुसूची-I में बताए गए तरीके से निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश कर सकती है।

12. भारतीय संस्था द्वारा पारदेशीय पोर्टफोलियो निवेश करने का तरीका.- भारतीय संस्था अनुसूची-II में बताए गए तरीके से निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन पारदेशीय पोर्टफोलियो निवेश कर सकती है।

13. निवासी व्यक्ति द्वारा पारदेशीय निवेश करने का तरीका- निवासी व्यक्ति अनुसूची-III में बताए गए तरीके से निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन पारदेशीय निवेश कर सकता है।

14. भारतीय संस्था और निवासी व्यक्ति से भिन्न भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा पारदेशीय निवेश.- भारतीय संस्था और निवासी व्यक्ति से भिन्न भारत में निवासी व्यक्ति, अनुसूची- IV में बताए गए तरीके से निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन पारदेशीय निवेश कर सकता है।

15. भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा आईएफएससी में पारदेशीय निवेश.- भारत में निवासी व्यक्ति अनुसूची-V में बताए गए तरीके से निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन भारत में स्थित आईएफएससी में पारदेशीय निवेश कर सकता है।

16. मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश- (1) जब तक इन नियमों में अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाता है, किसी विदेशी संस्था की इक्विटी पूंजी का निर्गम या अंतरण भारत के बाहर निवासी व्यक्ति या भारत में निवासी व्यक्ति से भारत में निवासी व्यक्ति को, जो इसके लिए पात्र है, या भारत के निवासी व्यक्ति से भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को, स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर निर्धारित कीमत के अधीन होगा।

(2) एडी बैंक, उप-नियम (1) के तहत लेनदेन की सुविधा प्रदान करने से पहले, मूल्यांकन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किसी मूल्य निर्धारण पद्धति का अनुसरण करते हुए स्वतंत्र संव्यवहार आधारित मूल्य निर्धारण का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

17. अंतरण या नकदीकरण.- (1) जब तक इन नियमों में अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाता है, इन नियमों के अनुसार इक्विटी पूंजी रखने वाला भारत में निवासी व्यक्ति ऐसे निवेश का अंतरण इन नियमों और विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 में बताए गए तरीके से सीमाओं का पालन करते हुए और ऐसे निवेश या विनिवेश की शर्तों, मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देशों अथवा दस्तावेजीकरण एवं रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अधीन कर सकता है।

(2) भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत में निवासी किसी व्यक्ति, जो इन नियमों के तहत इस तरह के निवेश करने के लिए पात्र है, को या भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को बिक्री के माध्यम से इक्विटी पूंजी अंतरित कर सकता है।

(3) यदि उक्त अंतरण विलय, सम्मेलन या विलगाव के कारण हो रहा हो या विदेशी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद के कारण, तो ऐसे अंतरण या उक्त विदेशी संस्था के परिसमापन के मामले में परिसमापन के लिए भारत में लागू कानूनों या मेजबान देश या मेजबान क्षेत्राधिकार, जैसा भी मामला हो, के कानूनों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेना होगा।

(4) जहां भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा विनिवेश पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश से संबंधित हो-

- (i) अंतरणकर्ता को, परिसमापन से भिन्न किसी माध्यम से किए गए पूर्ण विनिवेश के मामले में, ऐसी कोई देय राशि प्राप्ति के लिए शेष नहीं रहेगी जिसे ऐसा अंतरणकर्ता इक्विटी पूंजी और ऋण में निवेशक होने के नाते विदेशी संस्था से प्राप्त करने का हकदार है;
- (ii) अंतरणकर्ता को, किसी भी विनिवेश के मामले में, ओडीआई करने की तारीख से कम से कम एक वर्ष तक निवेश बनाए रखना होगा:

बशर्ते उपर्युक्त शर्तें ऐसी दो या दो से अधिक विदेशी संस्थाओं के बीच विलय, विलगाव या सम्मेलन के मामले में लागू नहीं होंगी, जिनका पूर्ण स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त भारतीय संस्था के पास हो अथवा जहां विलय की गयी या विलगाव की गयी या सम्मेलित संस्था में उक्त भारतीय संस्था की कुल इक्विटी होलिंग में कोई परिवर्तन या कमी नहीं आयी है।

(5) किसी निवेश को धारित करने या किसी भी प्रकार से उसके अंतरण की अनुमति नहीं होगी यदि संबंधित आरंभिक निवेश की अनुमति अधिनियम के अधीन न दी गई हो।

18. पुनर्गठन.- भारत में निवासी कोई व्यक्ति जिसने किसी विदेशी संस्था में ओडीआई किया है, उस विदेशी संस्था को तुलन-पत्र के पुनर्गठन की अनुमति दे सकता है, जो पिछले लेखा परीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार पिछले दो वर्षों से घाटे में चल रही है, बशर्ते रिपोर्टिंग, प्रलेखीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो, और बशर्ते ऐसे पुनर्गठन के बाद, भारत में निवासी ऐसे व्यक्ति को इक्विटी और ऋण के रूप में किए गए निवेश के संबंध में कुल बकाया देय राशि में होने वाला ह्रास संचित हानि की आनुपातिक राशि से अधिक न हो।

बशर्ते ऐसे ह्रास के मामले में जहां तत्संबंधी मूल निवेश की राशि 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है या ऐसे मामले में जहां ऐसे ह्रास की राशि भारतीय संस्था या निवेशक को देय कुल बकाया राशि के कुल मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक है, उक्त मूल्यह्रास का स्वतंत्र संव्यवहार करते हुए विधिवत सत्यापन कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अनुसार किसी पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता, अथवा तत्संबंधी मूल्यांकनकर्ता जिसका पंजीकरण विनियामकीय प्राधिकारी के साथ हो अथवा मेजबान क्षेत्राधिकार के किसी प्रमाणित सरकारी लेखाकार द्वारा किया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि उक्त प्रमाण-पत्र, जिसकी तारीख लेनदेन की तारीख से छह महीने से अधिक पहले की न हो, नामित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।

19. प्रतिबंध और निषेध.- (1) जब तक अधिनियम या इन नियमों में अन्यथा प्रावधान नहीं किया जाता है, भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी संस्था में पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश नहीं करेगा जो निम्नलिखित क्रियाकलाप से संबंधित हो-

(ए) स्थावर संपत्ति क्रियाकलाप;

(बी) किसी भी प्रकार का जुआ; और

(सी) रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन के बिना भारतीय रुपये से जुड़े वित्तीय उत्पादों का कारोबार।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम के प्रयोजनों से, अभिव्यक्ति "स्थावर संपत्ति क्रियाकलाप" का अर्थ स्थावर संपत्ति की खरीद और बिक्री या हस्तांतरणीय विकास अधिकारों में व्यापार है, लेकिन इसमें बेचने या पट्टे पर देने के उद्देश्य से विकसित की जाने वाली टाउनशिप, आवासीय या वाणिज्यिक परिसरों, सड़कों या पुलों का निर्माण शामिल नहीं है।

(2) मेजबान देश या मेजबान क्षेत्राधिकार, जैसा भी मामला हो, के कानूनों के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में किया जाने वाला कोई भी ओडीआई, किसी भारतीय संस्था द्वारा आंतरिक उपचित राशि में से किया जाएगा चाहे वह उक्त भारतीय संस्था से अथवा भारत में स्थित उस समूह अथवा सहयोगी कंपनियों से आयी हो और, निवासी व्यष्टियों के मामले में ऐसे व्यष्टि के स्वयं के धन से हो।

(3) भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी विदेशी संस्था में वित्तीय प्रतिबद्धता नहीं करेगा जिसने ऐसी वित्तीय प्रतिबद्धता करते समय या उसके बाद किसी भी समय, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भारत में निवेश किया हुआ है या निवेश करता है, जिसके परिणामस्वरूप अनुषंगियों के दो से अधिक स्तरों की संरचना होती है:

बशर्ते ऐसा प्रतिबंध कंपनी (स्तरों की संख्या पर निर्बंधन) नियम, 2017, समय-समय पर यथासंशोधित, के नियम 2 के उप-नियम (2) में उल्लिखित कंपनियों के निम्नलिखित वर्गों पर लागू नहीं होगा, यथा:-

(ए) बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंकारी कंपनी;

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-1 के खंड (एफ) में यथापरिभाषित ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी, जो रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत है और जिसे रिज़र्व बैंक प्रणालीगत महत्व की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी मानता है;

(सी) कोई बीमा कंपनी जो एक कंपनी होने के कारण बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) और बीमा विनियामक विकास और प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) के प्रावधानों के अनुसार बीमा कारोबार करती है; तथा

(डी) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) में निर्दिष्ट कोई सरकारी कंपनी।

20. रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अपेक्षाएँ.- भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किसी भी निवेश के लिए भुगतान का तरीका, प्रतिफल का आस्थगित भुगतान, रिपोर्टिंग, वसूली और अन्य अपेक्षाएँ रिज़र्व बैंक द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध में बनाए गए विनियमों के अनुसार होंगी।

21. भारत के बाहर स्थावर संपत्ति के अर्जन या हस्तांतरण पर प्रतिबंध.- (1) अधिनियम या इस नियम में अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक की सामान्य या विशेष अनुमति के बिना भारत के बाहर स्थित किसी भी स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण या हस्तांतरण नहीं करेगा:

बशर्ते इस नियम में निहित कुछ भी किसी ऐसी संपत्ति पर लागू नहीं होगा जो-

- (i) भारत में निवासी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित है जो किसी अन्य देश का नागरिक है;
- (ii) भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा 8 जुलाई 1947 को या उससे पहले अधिगृहीत की गयी हो और रिज़र्व बैंक की अनुमति से ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित की जाती रही हो;
- (iii) भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा पांच वर्ष से अधिक के पट्टे पर अधिगृहीत नहीं की गयी है।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, -

- (i) भारत में निवासी कोई व्यक्ति विरासत या उपहार के रूप में या खरीद के माध्यम से भारत के बाहर स्थित स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण भारत में निवासी किसी ऐसे व्यक्ति से कर सकता है जिसने वह संपत्ति अधिग्रहण के समय यथालागू विदेशी मुद्रा प्रावधानों के अनुसार अधिगृहीत की हो;
- (ii) भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत के बाहर निवासी किसी व्यक्ति से भारत के बाहर स्थावर संपत्ति निम्नानुसार अधिगृहीत कर सकता है-

(ए) विरासत के माध्यम से;

- (बी) आरएफसी खाते में धारित विदेशी मुद्रा द्वारा खरीद के माध्यम से;
 (सी) रिज़र्व बैंक द्वारा लागू की गयी उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत भेजे गए प्रेषणों द्वारा खरीद के माध्यम से

बशर्ते उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत ऐसे प्रेषण रिश्तेदारों के संबंध में समेकित किए जा सकते हैं, यदि ऐसे रिश्तेदार, जो भारत में निवासी व्यक्ति हैं, इस योजना की शर्तों का पालन करते हों;

(डी) किसी रिश्तेदार, जो भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति है, के साथ संयुक्त रूप से;

(ई) ओडीआई को छोड़कर अधिनियम के प्रावधानों के तहत विदेशों में अर्जित परिसंपत्तियों

से हुई आय या उनके बिक्री आगम में से;

(iii) समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार कोई भारतीय संस्था, जिसका कार्यालय विदेश में है, वह व्यवसाय और अपने कर्मचारियों के आवासीय उद्देश्यों के लिए भारत के बाहर स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है;

(iv) भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति, जिसने भारत के बाहर कोई स्थावर संपत्ति का अधिग्रहण किया है और ऐसा अधिग्रहण तत्समय यथालागू विदेशी मुद्रा प्रावधानों के अनुसार किया गया है, तो वह-

(ए) भारत में निवासी किसी व्यक्ति को उपहार के रूप में ऐसी संपत्ति हस्तांतरित कर सकता है, जो इन नियमों के तहत ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण हेतु पात्र हो, या बिक्री के माध्यम से;

(बी) इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों या समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के तहत इस तरह की संपत्ति पर प्रभार सृजित कर सकता है।

(3) स्थावर संपत्ति में किसी भी निवेश को रखने या किसी भी तरीके से उसके हस्तांतरण की अनुमति नहीं होगी यदि स्थावर संपत्ति में किए गए संबंधित आरंभिक निवेश की अनुमति अधिनियम के तहत न दी गयी हो।

अनुसूची-I

[नियम 11 देखें]

भारतीय संस्था द्वारा पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश करने का तरीका

1. **ओडीआई करने का तरीका** (1) कोई भारतीय संस्था इस अनुसूची में उल्लिखित सीमाओं और शर्तों के अधीन वास्तविक व्यावसायिक क्रियाकलाप करने के उद्देश्य से इक्विटी पूंजी में निवेश के माध्यम से ओडीआई कर सकती है।
2. ओडीआई करने या उसे धारित करने के निम्नलिखित माध्यम हो सकते हैं,-
 - (i) संस्था के बहिर्नियमों का एक हिस्सा बनने की सहमति व्यक्त करना अथवा सूचीबद्ध या असूचीबद्ध इक्विटी पूंजी की खरीद;
 - (ii) बोली या निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहण;
 - (iii) राइट्स इश्यू या बोनस शेयरों के आवंटन के माध्यम से इक्विटी पूंजी का अधिग्रहण;
 - (iv) विदेशी संस्था द्वारा भारतीय संस्था को देय किसी भी राशि का पूंजीकरण, निर्दिष्ट समयावधि के भीतर, जिसकी वसूली अधिनियम के तहत निर्दिष्ट हो, जिसका प्रेषण अधिनियम के तहत अनुमत है या जिसके लिए अधिनियम के तहत या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम या जारी किए गए निदेशों के अनुसार केंद्र सरकार या रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है;
 - (v) प्रतिभूतियों की अदला-बदली;
 - (vi) भारत में लागू कानूनों या मेजबान देश या मेजबान क्षेत्राधिकार, जैसा भी मामला हो, के कानूनों के अनुसार विलय, विलगाव, समामेलन या व्यवस्था की कोई योजना।

2. वित्तीय सेवा क्रियाकलाप में ओडीआई (1) भारत में वित्तीय सेवा क्रियाकलाप में संलग्न कोई भारतीय संस्था किसी ऐसी विदेशी संस्था में निम्नलिखित शर्तों के अधीन ओडीआई कर सकती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सेवा क्रियाकलाप में संलग्न है, यथा: -

- (i) उस भारतीय संस्था ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान शुद्ध लाभ अर्जित किया है;
- (ii) वह भारतीय संस्था भारत के किसी वित्तीय सेवा विनियामक के साथ पंजीकृत है या उसके द्वारा विनियमित है;
- (iii) उस भारतीय संस्था ने ऐसी वित्तीय सेवाओं में संलग्न होने के लिए भारत और मेजबान देश या मेजबान क्षेत्राधिकार, जैसा भी मामला हो, दोनों में ऐसी वित्तीय सेवा क्रियाकलाप के विनियामकों से अनुमोदन प्राप्त किया है जैसा कि अपेक्षित हो:

(2) कोई भारतीय संस्था जो भारत में वित्तीय सेवा क्रियाकलाप में संलग्न नहीं है, किसी विदेशी संस्था, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग या बीमा को छोड़कर वित्तीय सेवाओं क्रियाकलाप में संलग्न है, में ओडीआई कर सकती है, बशर्ते ऐसी भारतीय संस्था ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान शुद्ध लाभ अर्जित किया है:

प्रावधान किया जाता है कि कोई भारतीय संस्था जो बीमा क्षेत्र के क्रियाकलाप में संलग्न नहीं है, वह साधारण और स्वास्थ्य बीमा में, जहां ऐसा बीमा व्यवसाय इस भारतीय संस्था द्वारा विदेशों में की जा रही मुख्य क्रियाकलाप में सहायक हो, ओडीआई कर सकती है।

(3) यदि कोई भारतीय संस्था 2020-2021 से 2021-2022 की अवधि के दौरान कोविड-19 के प्रभाव के कारण इस पैराग्राफ के उप पैराग्राफ (1) और (2) के तहत उल्लिखित शुद्ध लाभ की अपेक्षा को पूरा नहीं करती है, तो तीन वर्ष की लाभप्रदता की गणना के उद्देश्य से उक्त अवधि के वित्तीय परिणामों पर विचार नहीं किया जाएगा:

प्रावधान किया जाता है कि रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से इस अवधि को इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे:

(4) इस पैराग्राफ में किसी बात के होते हुए भी, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों द्वारा पारदेशीय निवेश इस संबंध में लागू कानूनों के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

3. वित्तीय प्रतिबद्धता की सीमा.- (1) किसी भारतीय संस्था द्वारा ऐसी प्रतिबद्धता करने के समय उसके द्वारा सभी विदेशी संस्थाओं में की गई कुल वित्तीय प्रतिबद्धता की राशि उसके अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख के अनुसार उसकी निवल मलियत के 400 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए या जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से समय-समय पर निर्दिष्ट किया जाए।

(2) उप-पैराग्राफ (1) में निर्दिष्ट कुल वित्तीय प्रतिबद्धता में ऐसी सीमा की गणना के लिए प्रतिधारित आय के पूंजीकरण को शामिल नहीं किया जाएगा लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल होगा-

- (i) अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें जारी करके और ऐसी रसीदों के स्टॉक-स्वैप द्वारा जुटाई गई राशि का उपयोग; तथा
- (ii) बाह्य वाणिज्यिक उधारियों से प्राप्त राशि का उस सीमा तक उपयोग जहाँ तक इस तरह की उधारियाँ जुटाने के संबंध में रखी गयी गिरवी अथवा परिसंपत्तियों पर सृजित प्रभार की गणना उपर्युक्त सीमा के लिए पहले ही न कर ली गयी हो:

बशर्ते महारत्न या नवरत्न या मिनीरत्न या ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुषंगियों द्वारा भारत के बाहर रणनीतिक क्षेत्रों से जुड़ी विदेशी संस्थाओं में की गई वित्तीय प्रतिबद्धता इस पैराग्राफ के तहत निर्धारित सीमाओं के अधीन नहीं होगी।

स्पष्टीकरण- इस अनुसूची के प्रयोजनों से, किसी विदेशी संस्था को वित्तीय सेवा क्रियाकलाप के व्यवसाय में संलग्न माना जाएगा यदि वह ऐसी क्रियाकलाप करती है जिसे यदि भारत में किसी संस्था द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए यह अपेक्षित होता है कि वह भारत में वित्तीय क्षेत्र के विनियामक के साथ पंजीकृत या विनियमित हो।

अनुसूची-II

[नियम 12 देखें]

किसी भारतीय संस्था द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश करने का तरीका

1. भारतीय संस्था द्वारा ओपीआई- (1) कोई भारतीय संस्था इस अनुसूची में बताए गए तरीके से और निर्धारित शर्तों के अधीन ओपीआई कर सकती है जिसकी राशि उसके अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख के अनुसार उसकी निवल मलियत के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (2) कोई सूचीबद्ध भारतीय कंपनी ओपीआई, जिसमें पुनर्निवेश का माध्यम भी शामिल है, कर सकती है।
- (3) कोई असूचीबद्ध भारतीय संस्था केवल अनुसूची I के पैराग्राफ 1 के उप-पैरा (2) के खंडों (iii), (iv), (v) और (vi) के तहत ओपीआई कर सकती है।

अनुसूची-III

[नियम 13 देखें]

निवासी व्यक्ति द्वारा पारदेशीय निवेश करने का तरीका

1. ओआई बनाने का तरीका - (1) कोई भी निवासी व्यक्ति इस अनुसूची में बताए गए तरीके से इक्विटी पूंजी में निवेश के माध्यम से ओडीआई, अथवा ओपीआई कर सकता है और जब तक इसके अंतर्गत अन्यथा प्रावधान न किया जाए, यह रिज़र्व बैंक की उदारीकृत विप्रेषण योजना के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अधीन होगा।
- (2) कोई निवासी व्यक्ति निम्नलिखित के माध्यम से पारदेशीय निवेश कर सकता है या बनाए रख सकता है-
 - (i) किसी परिचालनरत विदेशी संस्था में ओडीआई, जो वित्तीय सेवा क्रियाकलाप में संलग्न नहीं है, और जिसकी कोई अनुषंगी या उप-अनुषंगी नहीं है, जहाँ निवासी व्यक्ति का नियंत्रण उस विदेशी संस्था में हो।
 - (ii) ओपीआई जिसमें पुनर्निवेश का माध्यम शामिल है ;
 - (iii) निम्नलिखित के माध्यम से ओडीआई या ओपीआई, जैसा भी मामला हो-
 - (ए) विदेशी संस्था द्वारा, निर्दिष्ट समयावधि के भीतर भारतीय संस्था को देय किसी भी राशि का पूंजीकरण, जिसकी वसूली अधिनियम के तहत निर्दिष्ट हो, जिसका प्रेषण अधिनियम के तहत अनुमत है या जिसके लिए केंद्र सरकार या रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित नहीं है;
 - (बी) विलय, विलगाव, समामेलन या परिसमापन के परिणामस्वरूप प्रतिभूतियों की अदला-बदली;
 - (सी) राइट्स इश्यू या बोनस शेयरों के आवंटन के माध्यम से इक्विटी पूंजी का अधिग्रहण;
 - (डी) इस अनुसूची के तहत निर्धारित शर्तों के अनुसार उपहार;
 - (ई) विरासत;
 - (एफ़) स्वेद इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण;
 - (जी) किसी विदेशी संस्था में कोई प्रबंधन पद धारण करने के लिए जारी किए गए न्यूनतम अर्हता शेयरों का अधिग्रहण;
 - (एच) कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना या कर्मचारी लाभ योजना के तहत शेयरों या हित का अधिग्रहण;

प्रावधान किया जाता है कि खंड (ई), (एफ़), (जी) और (एच) के संबंध में किसी विदेशी संस्था में ओडीआई किया जा सकता है, चाहे ऐसी विदेशी संस्था वित्तीय सेवा क्रियाकलाप में लगी हो या नहीं या उसकी ऐसी अनुषंगी या उप अनुषंगी है, जहां निवासी व्यक्ति का विदेशी संस्था में नियंत्रण है;

यह प्रावधान भी किया जाता है कि खंड (एफ), (जी) और (एच) के तहत किसी विदेशी संस्था में नियंत्रण के बिना, उसकी इक्विटी पूंजी के दस प्रतिशत से कम का अधिग्रहण, चाहे वह सूचीबद्ध हो या असूचीबद्ध, ओपीआई माना जाएगा।

स्पष्टीकरण- इस अनुसूची के प्रयोजनों से, किसी विदेशी संस्था को वित्तीय सेवा क्रियाकलाप में संलग्न माना जाएगा यदि वह ऐसे क्रियाकलाप करती है, जिसे यदि भारत में किसी संस्था द्वारा किया जाता है, तो उसके लिए यह अपेक्षित होता है कि वह भारत में वित्तीय क्षेत्र के विनियामक के साथ पंजीकृत या विनियमित हो।

2. उपहार या विरासत के रूप में अधिग्रहण- (1) कोई निवासी व्यक्ति बिना किसी सीमा के, भारत में निवासी व्यक्ति, जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियाँ धारित करता हो, उससे या भारत के बाहर निवासी व्यक्ति से विरासत के रूप में विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण कर सकता है।

(2) कोई निवासी व्यक्ति बिना किसी सीमा के, भारत में निवासी किसी ऐसे व्यक्ति से उपहार के रूप में विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण कर सकता है, जो रिश्तेदार हो और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियाँ धारित करता हो।

(3) कोई निवासी व्यक्ति विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार भारत के बाहर निवासी व्यक्ति से उपहार के रूप में विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण कर सकता है।

3. कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना या कर्मचारी लाभ योजना के तहत या स्वेद इक्विटी शेयरों के रूप में शेयरों या हित का अधिग्रहण- (1) कोई निवासी व्यक्ति, जो भारत में किसी कार्यालय या किसी विदेशी संस्था की शाखा या किसी पारदेशीय संस्था की भारत में स्थित अनुषंगी अथवा किसी ऐसी भारतीय संस्था जिसमें विदेशी संस्था की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग है, की शाखा का कर्मचारी या निदेशक है, वह ऐसी पारदेशीय संस्था द्वारा कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना या कर्मचारी लाभ योजना के तहत दिए गए शेयरों या हित का अधिग्रहण, बिना किसी सीमा के, कर सकता है बशर्ते उक्त पारदेशीय संस्था द्वारा कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना या कर्मचारी लाभ योजना के अंतर्गत किए गए इन निर्गमों को वैश्विक रूप से एकसमान रूप से जारी किया गया हो।

स्पष्टीकरण - इस पैराग्राफ के प्रयोजनों से, अभिव्यक्ति,-

(i) "अप्रत्यक्ष इक्विटी होल्डिंग" का अर्थ है किसी विशिष्ट प्रयोजन माध्यम या उप अनुषंगी के माध्यम से किया गया अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी होल्डिंग,

(ii) "कर्मचारी लाभ योजना" का अर्थ है किसी संस्था के निदेशकों या कर्मचारियों को दिया गया कोई मुआवजा या प्रोत्साहन जो कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना या ऐसी ही अन्य किसी योजना के माध्यम से ऐसे निदेशकों अथवा कर्मचारियों को स्वामित्व हित प्रदान करती है।

(2) इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई निवासी व्यक्ति केंद्र सरकार की किसी भी योजना के तहत कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजनाओं का अधिग्रहण कर सकता है।

अनुसूची-IV

[नियम 14 देखें]

भारतीय संस्था और निवासी व्यक्ति के अलावा भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा पारदेशीय निवेश

1. पंजीकृत न्यास या सोसाइटी द्वारा ओडीआई:- कोई भी व्यक्ति जो पंजीकृत न्यास या पंजीकृत सोसाइटी है जो भारत में शैक्षिक क्षेत्र में संलग्न है या जिसने अस्पताल स्थापित किए हैं, रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ किसी विदेशी संस्था में निम्नलिखित शर्तों के अधीन ओडीआई कर सकता है, यथा :-

(i) विदेशी संस्था उसी क्षेत्र में संलग्न हो, जिसमें भारतीय न्यास या सोसाइटी संलग्न है;

(ii) यह न्यास या सोसाइटी, जैसा भी मामला हो, जिस वर्ष में निवेश किया जा रहा है उससे न्यूनतम तीन वित्तीय वर्ष पहले से अस्तित्व में होनी चाहिए;

(iii) न्यास के मामले में न्यास विलेख, और सोसाइटी के मामले में संस्थापन प्रलेख या नियम या उपनियम प्रस्तावित ओडीआई की अनुमति देते हों ;

(iv) इस तरह के निवेश को न्यास के मामले में न्यासियों और सोसाइटी के मामले में अधिशासी निकाय या परिषद या प्रबंध या कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त हो ;

(v) यदि न्यास या सोसाइटी को गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, से विशेष लाइसेंस या अनुमति लेनी अपेक्षित है, तो विशेष लाइसेंस या अनुमति प्राप्त कर ली गई है और उसे नामित एडी बैंक को प्रस्तुत किया गया है।

2. म्यूचुअल फंड या जोखिम पूंजी निधियों या वैकल्पिक निवेश निधियों द्वारा ओआई:- (1) कोई म्यूचुअल फंड या जोखिम पूंजी निधि या वैकल्पिक निवेश निधि, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित विदेशी प्रतिभूतियों का अर्जन या अंतरण भारतीय रिज़र्व बैंक तथा सेबी द्वारा अनुमेय क़ानूनों के तहत समय-समय पर निर्धारित अन्य निबंधनों और शर्तों के अनुसार कर सकता है।

प्रावधान किया जाता है कि ऐसे निवेश की समग्र सीमा रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार के परामर्श से तय की जाएगी:

प्रावधान किया जाता है कि ऐसे निवेशों के लिए उपर्युक्त फंडों एवं निधियों की अलग-अलग सीमाएं सेबी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होंगी।

(2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट निधियों द्वारा विदेशी प्रतिभूति की खरीद और बिक्री से संबंधित प्रत्येक लेनदेन भारत में नामित प्राधिकृत एडी बैंक के माध्यम से किया जाएगा:

(3) इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, इन नियमों के तहत म्यूचुअल फंड, जोखिम पूंजी निधि और वैकल्पिक निवेश निधि द्वारा किए गए किसी भी निवेश को ओपीआई माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस पैराग्राफ के प्रयोजनों से, "वैकल्पिक निवेश निधि" का अर्थ सेबी में इस रूप में पंजीकृत कोई भी निधि है।

3. स्टॉक एक्सचेंजों के क्लियरिंग कार्पोरेशन और समाशोधन सदस्यों द्वारा डीमैट खाते खोलना:- कोई व्यक्ति जो किसी स्टॉक एक्सचेंज का सेबी द्वारा अनुमोदित क्लियरिंग कार्पोरेशन या उसके समाशोधन सदस्य हों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा संपार्श्विक के रूप में पेश की गई विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण, धारण और अंतरण कर सकता है और, समय-समय पर सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन,-

(i) विदेशी निक्षेपागारों के साथ डीमैट खाता खोल सकता है और बनाए रख सकता है;

(ii) ऐसे क्रियाकलाप से यदि कोई अर्जन हो, तो उसका विप्रेषण कर सकता है; तथा

(iii) ऐसी विदेशी प्रतिभूतियों का नकदीकरण करके और उससे प्राप्त राशि का भारत में संप्रत्यावर्तन कर सकता है।

4. घरेलू निक्षेपागार द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों का अर्जन और अंतरण:- घरेलू निक्षेपागार किसी विदेशी संस्था की ऐसी विदेशी प्रतिभूतियों का अधिग्रहण, धारण और अंतरण कर सकता है जो भारतीय निक्षेपागार रसीदें जारी करने के लिए अंतर्निहित प्रतिभूति है तथा ऐसी विदेशी संस्था या इसके पारदेशीय संरक्षक बैंक द्वारा यथा प्राधिकृत हो और भारतीय निक्षेपागार रसीदों में निवेश करने वाला व्यक्ति या तो इन नियमों और विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 में प्रदान की गई शर्तों के अनुसार विदेशी प्रतिभूतियों को बेच सकता है या अपने पास बनाए रख सकता है।

5. एडी बैंक द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों का अर्जन और अंतरण:- एडी बैंक और उसकी विदेशी शाखा अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के तहत मेजबान देश या मेजबान क्षेत्राधिकार, जैसा भी मामला हो, की शर्तों के अनुसार विदेशी प्रतिभूतियों का अर्जन या अंतरण कर सकते हैं।

अनुसूची V

[नियम 15 देखें]

भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा आईएफएससी में पारदेशीय निवेश

1. भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा आईएफएससी में पारदेशीय निवेश:- (1) इन नियमों के उपबंधों और विदेशी मुद्रा प्रबंध (पारदेशीय निवेश) विनियमावली, 2022 के अधीन, भारत में निवासी व्यक्ति भारत में आईएफएससी में इन नियमों में प्रदान की गई सीमाओं के भीतर पारदेशीय निवेश कर सकता है।

(2) भारत में निवासी व्यक्ति अनुसूची-I या अनुसूची-II या अनुसूची-III या अनुसूची-IV में निर्धारित तरीके से आईएफएससी में पारदेशीय निवेश कर सकता है:

प्रावधान किया जाता है कि :-

(i) आईएफएससी में किए गए ओडीआई के मामले में, संबंधित वित्तीय सेवा नियामक द्वारा अनुमोदन, जहां भी लागू हो, के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पर निर्णय उसे प्रस्तुत करने की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर लिया जाएगा, जिसके उपरांत इसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा;

(ii) कोई भारतीय संस्था जो भारत में वित्तीय सेवा क्रियाकलाप में संलग्न नहीं है, किसी ऐसी विदेशी संस्था में ओडीआई करती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग और बीमा को छोड़कर वित्तीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में संलग्न है, तथा जो इन नियमों के तहत अपेक्षित शुद्ध लाभ की शर्त को पूरा नहीं करती है, वह आईएफएससी में ओडीआई कर सकती है।

(iii) भारत में निवासी व्यक्ति आईएफएससी में किसी निवेश निधि या व्हीकल में ओपीआई के रूप में योगदान कर सकता है;

(iv) कोई निवासी व्यक्ति आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं के क्रियाकलाप (बैंकिंग या बीमा को छोड़कर), में संलग्न किसी विदेशी संस्था में ओडीआई कर सकता है, यदि ऐसी संस्था के पास आईएफएससी के बाहर अनुषंगी या उप-अनुषंगी नहीं है जहां निवासी व्यक्ति का विदेशी संस्था में नियंत्रण है।

(3) आईएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को इन नियमों के प्रयोजन से भारत के बाहर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज माना जाएगा।

[फा.सं.27/4/2018 (इ)- एफटी]

राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2022

G.S.R. 646(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 and sub-section (3) of section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in supersession of the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 and the Foreign Exchange Management (Acquisition and Transfer of Immovable Property Outside India) Regulations, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

- (b) “Authorised Dealer Category-I bank or “AD bank” means a person authorised as such under sub-section (1) of section 10 of the Act and for the purposes of these rules, shall mean only the domestic branches of such AD bank;
- (c) “control” means the right to appoint majority of the directors or to control management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders’ agreements or voting agreements that entitle them to ten per cent. or more of voting rights or in any other manner in the entity;
- (d) “disinvestment” means partial or full extinguishment of right, title or possession of equity capital acquired under these rules;
- (e) “equity capital” means equity shares or perpetual capital or instruments that are irredeemable or contribution to non-debt capital of a foreign entity in the nature of fully and compulsorily convertible instruments;
- (f) “financial commitment” means the aggregate amount of investment made by a person resident in India by way of Overseas Direct Investment, debt other than Overseas Portfolio Investment in a foreign entity or entities in which the Overseas Direct Investment is made and shall include the non-fund-based facilities extended by such person to or on behalf of such foreign entity or entities;
- (g) “financial service regulator” means a financial service regulator established under any law in force in India and include the Reserve Bank, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority and the Pension Fund Regulatory and Development Authority;
- (h) “foreign entity” means an entity formed or registered or incorporated outside India, including International Financial Services Centre that has limited liability:
 Provided that the restriction of limited liability shall not apply to an entity with core activity in a strategic sector;
- (i) “host country” or “host jurisdiction” means the country or jurisdiction, including the International Financial Services Centre, in which the foreign entity is formed, registered or incorporated, as the case may be;
- (j) “Indian entity” means—
- (i) a company defined under the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (ii) a body corporate incorporated by any law for the time being in force;
- (iii) a Limited Liability Partnership duly formed and incorporated under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009); and
- (iv) a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932).
- (k) “International Financial Services Centre” or “IFSC” shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (l) “last audited balance sheet” means audited balance sheet as on date not exceeding eighteen months preceding the date of the transaction;
- (m) “listed foreign entity” means a foreign entity whose equity shares or any other fully and compulsorily convertible instrument is listed on a recognised stock exchange outside India;
- (n) “listed Indian company” means an Indian company that has equity shares or any of its fully and compulsorily convertible instruments listed on a recognised stock exchange in India and the expression “unlisted Indian company” shall be construed accordingly;
- (o) “mutual fund” means any fund registered as such with the Securities and Exchange Board of India;

- (p) “net worth” shall have the same meaning as assigned to it in clause (57) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

Explanation.— For the purposes of this clause, “net worth” of registered partnership firm or Limited Liability Partnership shall be the sum of the capital contribution of partners and undistributed profits of the partners after deducting therefrom the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the last audited balance sheet;

- (q) “Overseas Direct Investment” or “ODI” means investment by way of acquisition of unlisted equity capital of a foreign entity, or subscription as a part of the memorandum of association of a foreign entity, or investment in ten per cent, or more of the paid-up equity capital of a listed foreign entity or investment with control where investment is less than ten per cent. of the paid-up equity capital of a listed foreign entity;

Explanation.— For the purposes of this clause, where an investment by a person resident in India in the equity capital of a foreign entity is classified as ODI, such investment shall continue to be treated as ODI even if the investment falls to a level below ten per cent. of the paid-up equity capital or such person loses control in the foreign entity;

- (r) “Overseas Investment” or “OI” means financial commitment and Overseas Portfolio Investment by a person resident in India;
- (s) “Overseas Portfolio Investment” or “OPI” means investment, other than ODI, in foreign securities, but not in any unlisted debt instruments or any security issued by a person resident in India who is not in an IFSC:

Provided that OPI by a person resident in India in the equity capital of a listed entity, even after its delisting shall continue to be treated as OPI until any further investment is made in the entity.

Explanation.— For the purposes of this clause, the expression “debt instruments” means the instruments specified as such in clause (A) of rule 5;

- (t) “relative” shall have the same meaning as assigned to it in clause (77) of section 2 of the Companies Act, 2013, (18 of 2013);
- (u) “resident individual” means a person resident in India who is a natural person;
- (v) “Resident Foreign Currency Account” or “RFC Account” shall have the same meaning as assigned to it in the Foreign Exchange Management (Foreign Currency Accounts by a Person Resident in India) Regulations, 2015;
- (w) “SEBI” means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
- (x) “Society” means a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860);
- (y) “Subsidiary” or “step down subsidiary” of a foreign entity means an entity in which the foreign entity has control;
- (z) “strategic sector” shall include energy and natural resources sectors such as oil, gas, coal, mineral ores, submarine cable system and start-ups and any other sector or sub-sector as deemed necessary by the Central Government;
- (za) “sweat equity shares” means such equity shares as are issued by an overseas entity to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash, for providing their know-how or making available rights like intellectual property rights or value additions, by whatever name called;
- (zb) “Trust” means a trust registered under the Indian Trust Act, 1882 (2 of 1882);
- (zc) “Venture Capital Fund” means a fund registered as such with the SEBI.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the rules or regulations made thereunder.

3. Administration of these rules.— (1) These rules shall be administered by the Reserve Bank. (2) The Reserve Bank may issue such directions, circulars, instructions and clarifications as it may deem necessary for the effective implementation of the provisions of these rules.

4. Non-applicability of rules and regulations relating thereto in certain cases.— Nothing in these rules or the Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Regulations, 2022 shall apply to—

- (a) any investment made outside India by a financial institution in an IFSC;
- (b) acquisition or transfer of any investment outside India made,—
 - (i) out of Resident Foreign Currency Account; or
 - (ii) out of foreign currency resources held outside India by a person who is employed in India for a specific duration irrespective of length thereof or for a specific job or assignment, duration of which does not exceed three years; or
 - (iii) in accordance with sub-section (4) of section 6 of the Act.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression “financial institution” shall have the same meaning as assigned to it in the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019).

5. Debt instruments and non-debt instruments.— The following shall be the debt instruments and non-debt instruments as determined by the Central Government under sub-section (7) of section 6 of the Act, namely:—

(A) Debt instruments:

- (i) Government bonds;
- (ii) corporate bonds;
- (iii) all tranches of securitisation structure which are not equity tranche;
- (iv) borrowings by firms through loans; and
- (v) depository receipts whose underlying securities are debt securities;

(B) Non-debt instruments:

- (i) all investments in equity in incorporated entities (public, private, listed and unlisted);
- (ii) capital participation in Limited Liability Partnerships;
- (iii) all instruments of investment as recognised in the Foreign Direct Investment policy from time to time;
- (iv) investment in units of Alternative Investment Funds and Real Estate Investment Trust and Infrastructure Investment Trusts;
- (v) investment in units of mutual funds and Exchange-Traded Fund which invest more than fifty per cent in equity;
- (vi) the junior-most layer (i.e. equity tranche) of securitisation structure;
- (vii) acquisition, sale or dealing directly in immovable property;
- (viii) contribution to trusts; and
- (ix) depository receipts issued against equity instruments;

6. Continuity of certain investments.— Any investment or financial commitment outside India made in accordance with the Act or the rules or regulations made thereunder and held as on the date of publication of these rules in the Official Gazette, shall be deemed to have been made under these rules and the Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Regulations, 2022.

7. Rights issue and bonus shares.— (1) Any person resident in India who has acquired and continues to hold equity capital of any foreign entity in accordance with the provisions of the Act or the rules or regulations made thereunder—

- (a) may invest in the equity capital issued by such entity as a rights issue; or
- (b) may be granted bonus shares subject to the terms and conditions under these rules.

(2) The person resident in India acquiring the rights under sub-rule (1) may renounce such rights in favour of a person resident in India or a person resident outside India.

8. Prohibition on investment outside India.— Save as otherwise provided in the Act or these rules or the regulations made or directions issued under the Act, no person resident in India shall make or transfer any investment or financial commitment outside India.

9. Overseas Investment.— (1) Save as otherwise provided in these rules or the Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Regulations, 2022, any investment made outside India by a person resident in India shall be made in a foreign entity engaged in a bona fide business activity, directly or through step down subsidiary or the special-purpose vehicle, subject to the limits and the conditions laid down in these rules and the said regulations:

Provided that the structure of such subsidiary or step down subsidiary of the foreign entity shall comply with the structural requirements of a foreign entity:

Provided further that Overseas Investment or transfer of such investment including swap of securities in a foreign entity formed, registered or incorporated in Pakistan or in any other jurisdiction as may be advised by the Central Government from time to time shall require prior approval of the Central Government.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, “bonafide business activity” shall mean any business activity permissible under any law in force in India and the host country or host jurisdiction, as the case may be:

(2) Notwithstanding anything contained in these rules or Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Regulations 2022 –

- (i) the Central Government may, on an application made to it through the Reserve Bank, permit financial commitment in strategic sectors or geographies, above the limits laid down in these rules and subject to such terms and conditions as it considers necessary.
- (ii) the Reserve Bank may, on an application made to it through the designated AD bank and for sufficient reasons, permit a person resident in India to make or transfer any investment or financial commitment outside India subject to such conditions as may be laid down by it:

Provided that Overseas Investment by a person resident in India shall not be made in a foreign entity located in a country or jurisdiction as may be decided by the Central Government from time to time.

(3) The Reserve Bank, if it considers necessary may, in consultation with the Central Government,—

- (i) stipulate the ceiling for the aggregate outflows during a financial year on account of financial commitment or Overseas Portfolio Investment;
- (ii) stipulate the ceiling beyond which the amount of financial commitment by a person resident in India in a financial year shall require its prior approval.

10. No Objection Certificate.—

(1) Any person resident in India who,—

- (i) has an account appearing as a non-performing asset; or
- (ii) is classified as a wilful defaulter by any bank; or

- (iii) is under investigation by a financial service regulator or by investigative agencies in India, namely, the Central Bureau of Investigation or Directorate of Enforcement or Serious Frauds Investigation Office,

shall, before making any financial commitment or undertaking disinvestment under these rules or the Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Regulations, 2022, obtain a No Objection Certificate from the lender bank or regulatory body or investigative agency by making an application in writing to such bank or regulatory body or investigative agency concerned:

Provided that where the lender bank or regulatory body or investigative agency concerned fails to furnish the certificate within sixty days from the date of receipt of such application, it may be presumed that there was no objection to the proposed transaction.

- (2) The No Objection Certificate issued under sub-rule (1) shall be addressed by the lender bank or regulatory body or investigative agency concerned to the designated AD bank with an endorsement to the applicant.

11. Manner of making Overseas Direct Investment by Indian entity.— An Indian entity may make Overseas Direct Investment in the manner and subject to the terms and conditions prescribed in Schedule I.

12. Manner of making Overseas Portfolio Investment by an Indian entity.— An Indian entity may make Overseas Portfolio Investment in the manner and subject to the terms and conditions prescribed in Schedule II.

13. Manner of making Overseas Investment by resident individual.— A resident individual may make Overseas Investment in the manner and subject to the terms and conditions prescribed in Schedule III.

14. Overseas Investment by person resident in India other than Indian entity and resident Individual.— A person resident in India, other than an Indian entity and a resident individual, may make Overseas Investment in the manner and subject to the terms and conditions prescribed in Schedule IV.

15. Overseas Investment in IFSC by person resident in India.— A person resident in India may make Overseas Investment in an IFSC in India in the manner and subject to the terms and conditions prescribed in Schedule V.

16. Pricing guidelines.— (1) Unless otherwise provided in these rules, the issue or transfer of equity capital of a foreign entity from a person resident outside India or a person resident in India to a person resident in India who is eligible to make such investment or from a person resident in India to a person resident outside India shall be subject to a price arrived on an arm's length basis.

- (2) The AD bank, before facilitating a transaction under sub-rule (1), shall ensure compliance with arm's length pricing taking into consideration the valuation as per any internationally accepted pricing methodology for valuation.

17. Transfer or liquidation.— (1) Unless otherwise provided in these rules, a person resident in India holding equity capital in accordance with these rules may transfer such investment, in compliance with the limits and subject to the conditions for such investment or disinvestment, pricing guidelines or documentation and reporting requirements, in the manner provided in these rules and the Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Regulations, 2022.

- (2) A person resident in India may transfer equity capital by way of sale to a person resident in India, who is eligible to make such investment under these rules, or to a person resident outside India.

(3) In case the transfer is on account of merger, amalgamation or demerger or on account of buyback of foreign securities, such transfer or liquidation in case of liquidation of the foreign entity, shall have the approval of the competent authority as per the applicable laws in India or the laws of the host country or host jurisdiction, as the case may be.

- (4) Where the disinvestment by a person resident in India pertains to ODI—

- (i) the transferor, in case of full disinvestment other than by way of liquidation, shall not have any dues outstanding for receipt, which such transferor is entitled to receive from the foreign entity as an investor in equity capital and debt;
- (ii) the transferor, in case of any disinvestment must have stayed invested for at least one year from the date of making ODI:

Provided that the above conditions shall not be applicable in case of a merger, demerger or amalgamation between two or more foreign entities that are wholly-owned, directly or indirectly, by the Indian entity or where there is no change or dilution in aggregate equity holding of the Indian entity in the merged or demerged or amalgamated entity.

(5) The holding of any investment or transfer thereof in any manner shall not be permitted if the initial investment was not permitted under the Act.

18. Restructuring.— A person resident in India who has made ODI in a foreign entity may permit restructuring of the balance sheet by such foreign entity, which has been incurring losses for the previous two years as evidenced by its last audited balance sheets, subject to ensuring compliance with reporting, documentation requirements and subject to the diminution in the total value of the outstanding dues towards such person resident in India on account of investment in equity and debt, after such restructuring not exceeding the proportionate amount of the accumulated losses:

Provided that in case of such diminution where the amount of corresponding original investment is more than USD 10 million or in the case where the amount of such diminution exceeds twenty per cent of the total value of the outstanding dues towards the Indian entity or investor, the diminution in value shall be duly certified on an arm's length basis by a registered valuer as per the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or corresponding valuer registered with the regulatory authority or certified public accountant in the host jurisdiction:

Provided further that the certificate dated not more than six months before the date of the transaction shall be submitted to the designated AD bank.

19. Restrictions and prohibitions.— (1) Unless otherwise provided in the Act or these rules, no person resident in India shall make ODI in a foreign entity engaged in—

- (a) real estate activity;
- (b) gambling in any form; and
- (c) dealing with financial products linked to the Indian rupee without specific approval of the Reserve Bank.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, the expression "real estate activity" means buying and selling of real estate or trading in Transferable Development Rights but does not include the development of townships, construction of residential or commercial premises, roads or bridges for selling or leasing.

(2) Any ODI in start-ups recognised under the laws of the host country or host jurisdiction as the case may be, shall be made by an Indian entity only from the internal accruals whether from the Indian entity or group or associate companies in India and in case of resident individuals, from own funds of such an individual.

(3) No person resident in India shall make financial commitment in a foreign entity that has invested or invests into India, at the time of making such financial commitment or at any time thereafter, either directly or indirectly, resulting in a structure with more than two layers of subsidiaries:

Provided that such restriction shall not apply to the following classes of companies mentioned in sub-rule (2) of rule 2 of the Companies (Restriction on Number of Layers) Rules, 2017 as may be amended from time to time, namely:-

- (a) a banking company as defined in clause (c) of section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

- (b) a non-banking financial company as defined in clause (f) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) which is registered with the Reserve Bank and considered as systematically important non-banking financial company by the Reserve Bank;
- (c) an insurance company being a company which carries on the business of insurance in accordance with provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999); and
- (d) a Government company referred to in clause (45) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

20. Requirements to be specified by Reserve Bank.— The mode of payment, deferred payment of consideration, reporting, realisation, and other requirements for any investment outside India by a person resident in India shall be as per the regulations made in this behalf by the Reserve Bank under the Act.

21. Restriction on acquisition or transfer of immovable property outside India.—

(1) Save as otherwise provided in the Act or this rule, no person resident in India shall acquire or transfer any immovable property situated outside India without general or special permission of the Reserve Bank:

Provided that nothing contained in this rule shall apply to a property—

- (i) held by a person resident in India who is a national of a foreign State;
- (ii) acquired by a person resident in India on or before the 8th day of July, 1947 and continued to be held by such person with the permission of the Reserve Bank;
- (iii) acquired by a person resident in India on a lease not exceeding five years.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1)—

(i) a person resident in India may acquire immovable property outside India by way of inheritance or gift or purchase from a person resident in India who has acquired such property as per the foreign exchange provisions in force at the time of such acquisition;

(ii) a person resident in India may acquire immovable property outside India from a person resident outside India—

- (a) by way of inheritance;
- (b) by way of purchase out of foreign exchange held in RFC account;
- (c) by way of purchase out of the remittances sent under the Liberalised Remittance Scheme instituted by the Reserve Bank:

Provided that such remittances under the Liberalised Remittance Scheme may be consolidated in respect of relatives if such relatives, being persons resident in India, comply with the terms and conditions of the Scheme;

- (d) jointly with a relative who is a person resident outside India;
- (e) out of the income or sale proceeds of the assets, other than ODI, acquired overseas under the provisions of the Act;

(iii) an Indian entity having an overseas office may acquire immovable property outside India for the business and residential purposes of its staff, as per the directions issued by the Reserve Bank from time to time;

(iv) a person resident in India who has acquired any immovable property outside India in accordance with the foreign exchange provisions in force at the time of such acquisition may—

- (a) transfer such property by way of gift to a person resident in India who is eligible to acquire such property under these rules or by way of sale;
- (b) create a charge on such property in accordance with the Act or the rules or regulations made thereunder or directions issued by the Reserve Bank from time to time.

(3) The holding of any investment in immovable property or transfer thereof in any manner shall not be permitted if the initial investment in immovable property was not permitted under the Act.

Schedule I

[See rule 11]

Manner of making Overseas Direct Investment by Indian entity

1. Manner of making ODI.— (1) An Indian entity may make ODI by way of investment in equity capital for the purpose of undertaking bonafide business activity in the manner and subject to the limits and conditions provided in this Schedule.

(2) The ODI may be made or held by way of,—

- (i) subscription as part of memorandum of association or purchase of equity capital, listed or unlisted;
- (ii) acquisition through bidding or tender procedure;
- (iii) acquisition of equity capital by way of rights issue or allotment of bonus shares;
- (iv) capitalisation, within the time period, if any, specified for realisation under the Act, of any amount due towards the Indian entity from the foreign entity, the remittance of which is permitted under the Act or does not require prior permission of the Central Government or the Reserve Bank under the Act or any rules or regulations made or directions issued thereunder;
- (v) the swap of securities;
- (vi) merger, demerger, amalgamation or any scheme of arrangement as per the applicable laws in India or laws of the host country or the host jurisdiction, as the case may be.

2. ODI in financial services activity.— (1) An Indian entity engaged in financial services activity in India may make ODI in a foreign entity, which is directly or indirectly engaged in financial services activity, subject to the following conditions, namely:—

- (i) the Indian entity has posted net profits during the preceding three financial years;
- (ii) the Indian entity is registered with or regulated by a financial services regulator in India;
- (iii) the Indian entity has obtained approval as may be required from the regulators of such financial services activity, both in India and the host country or host jurisdiction, as the case may be, for engaging in such financial services:

(2) An Indian entity not engaged in financial services activity in India may make ODI in a foreign entity, which is directly or indirectly engaged in financial services activity, except banking or insurance, subject to the condition that such Indian entity has posted net profits during the preceding three financial years:

Provided that an Indian entity not engaged in the insurance sector may make ODI in general and health insurance where such insurance business is supporting the core activity undertaken overseas by such an Indian entity.

(3) If an Indian entity does not meet the net profits required under sub paragraph (1) & (2) of this paragraph due to the impact of Covid-19 during the period from 2020-2021 to 2021-2022, then the financial results of such period may be excluded for considering the profitability period of three years:

Provided that such period may be extended by the Reserve Bank in consultation with the Central Government, as it may deem necessary:

(4) Notwithstanding anything contained in this paragraph, Overseas Investment by banks and non-banking financial institutions regulated by the Reserve Bank shall be subject to the conditions laid down by the Reserve Bank under applicable laws in this regard.

3. Limit for financial commitment.— (1) The total financial commitment made by an Indian entity in all the foreign entities taken together at the time of undertaking such commitment shall not exceed 400 percent

of its net worth as on the date of the last audited balance sheet or as directed by the Reserve Bank, in consultation with Central Government from time to time.

(2) The total financial commitment referred to in sub-paragraph (1) shall not include capitalisation of retained earnings for reckoning such limit but shall include—

- (i) utilisation of the amount raised by the issue of American Depository Receipts or Global Depository Receipts and stock-swap of such receipts; and
- (ii) utilisation of the proceeds from External Commercial Borrowings to the extent the corresponding pledge or creation of charge on assets to raise such borrowings has not already been reckoned towards the above limit:

Provided that the financial commitment made by Maharatna or Navratna or Miniratna or subsidiaries of such public sector undertakings in foreign entities outside India engaged in strategic sectors shall not be subject to the limits laid down under this paragraph.

Explanation.— For the purposes of this Schedule, a foreign entity shall be considered to be engaged in the business of financial services activity if it undertakes an activity, which if carried out by an entity in India, requires registration with or is regulated by a financial sector regulator in India.

Schedule II

[See rule 12]

Manner of making Overseas Portfolio Investment by an Indian entity

1. **OPI by an Indian entity.**— (1) An Indian entity may make OPI which shall not exceed fifty percent of its net worth as on the date of its last audited balance sheet, in the manner and subject to the conditions laid down in this Schedule.
- (2) A listed Indian company may make OPI including by way of reinvestment.
- (3) An unlisted Indian entity may make OPI only under clauses (iii), (iv), (v) and (vi) of sub-paragraph (2) of paragraph 1 of Schedule I.

Schedule III

[See rule 13]

Manner of making Overseas Investment by resident individual

1. **Manner of making OI.**— (1) Any resident individual may make ODI by way of investment in equity capital or OPI in the manner provided in this Schedule and unless otherwise provided hereunder, shall be subject to the overall ceiling under the Liberalised Remittance Scheme of the Reserve Bank.
- (2) A resident individual may make or hold Overseas Investment by way of,—
 - (i) ODI in an operating foreign entity not engaged in financial services activity and which does not have subsidiary or step down subsidiary where the resident individual has control in the foreign entity;
 - (ii) OPI, including by way of reinvestment;
 - (iii) ODI or OPI, as the case may be, by way of—
 - (a) capitalisation, within the time period, if any, specified for realisation under the Act, of any amount due from the foreign entity the remittance of which is permitted under the Act or does not require prior permission of the Central Government or the Reserve Bank;

- (b) swap of securities on account of a merger, demerger, amalgamation or liquidation;
- (c) acquisition of equity capital through rights issue or allotment of bonus shares;
- (d) gift as per the conditions laid down under this Schedule;
- (e) inheritance;
- (f) acquisition of sweat equity shares;
- (g) acquisition of minimum qualification shares issued for holding a management post in a
 - a. foreign entity;
- (h) acquisition of shares or interest under Employee Stock Ownership Plan or Employee Benefits Scheme:

Provided that ODI in respect of clauses (e), (f), (g) and (h) may be made in a foreign entity whether or not such foreign entity is engaged in financial services activity or has subsidiary or step down subsidiary where the resident individual has control:

Provided further that the acquisition of less than ten per cent. of the equity capital, whether listed or unlisted, of a foreign entity without control under clauses (f), (g) and (h), shall be treated as OPI.

Explanation.— For the purposes of this Schedule, a foreign entity will be considered to be engaged in the business of financial services activity if it undertakes an activity, which if carried out by an entity in India, requires registration with or is regulated by a financial sector regulator in India.

2. Acquisition by way of gift or inheritance.— (1) A resident individual may, without any limit, acquire foreign securities by way of inheritance from a person resident in India who is holding such securities in accordance with the provisions of the Act or from a person resident outside India.

(2) A resident individual, without any limit, may acquire foreign securities by way of gift from a person resident in India who is a relative and holding such securities in accordance with the provisions of the Act.

(3) A resident individual may acquire foreign securities by way of gift from a person resident outside India in accordance with the provisions of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) and the rules and regulations made thereunder.

3. Acquisition of shares or interest under Employee Stock Ownership Plan or Employee Benefits Scheme or sweat equity shares.— (1) A resident individual, who is an employee or a director of an office in India or branch of an overseas entity or a subsidiary in India of an overseas entity or of an Indian entity in which the overseas entity has direct or indirect equity holding, may acquire, without limit, shares or interest under Employee Stock Ownership Plan or Employee Benefits Scheme or sweat equity shares offered by such overseas entity, provided that the issue of Employee Stock Ownership Plan or Employee Benefits Scheme are offered by the issuing overseas entity globally on a uniform basis.

Explanation.— For the purposes of this paragraph, the expression,—

- (i) “indirect equity holding” means indirect foreign equity holding through a special purpose vehicle or step down subsidiary;
- (ii) “Employee Benefit Scheme” means any compensation or incentive given to the directors or employees of any entity which gives such directors or employees ownership interest in an overseas entity through ESOP or any similar scheme.

(2) Notwithstanding anything contained in these rules, a resident individual may acquire Employee Stock Ownership Plans under any scheme of the Central Government.

Schedule IV

[See rule 14]

Overseas Investment by person resident in India other than Indian entity and resident Individual

1. ODI by Registered Trust or Society.— Any person being a registered Trust or a registered Society engaged in the educational sector or which has set up hospitals in India may make ODI in a foreign entity with the prior approval of the Reserve Bank, subject to the following conditions, namely:—

- (i) the foreign entity is engaged in the same sector that the Indian Trust or Society is engaged in;
- (ii) the Trust or the Society, as the case may be, should have been in existence for at least three financial years before the year in which such investment is being made;
- (iii) the trust deed in case of a Trust, and the memorandum of association or rules or bye-laws in case of a Society shall permit the proposed ODI;
- (iv) such investment have the approval of the trustees in case of a Trust and the governing body or council or managing or executive committee in case of a Society;
- (v) in case the Trust or the Society require special licence or permission either from the Ministry of Home Affairs, Central Government or from the relevant local authority, as the case may be, the special licence or permission has been obtained and submitted to the designated AD bank.

2. OI by Mutual Funds or Venture Capital Funds or Alternative Investment Funds.— (1) A mutual fund or Venture Capital Fund or Alternative Investment Fund may acquire or transfer foreign securities as stipulated by SEBI from time to time in accordance with the provisions of these rules and subject to such other terms and conditions as may be laid down by the Reserve Bank and the SEBI under applicable laws from time to time:

Provided that the aggregate limit for such investment shall be decided by the Reserve Bank in consultation with the Central Government:

Provided further that the individual limits for such investments shall be as per the instructions issued by the SEBI from time to time.

(2) Every transaction relating to the purchase and sale of foreign security by the funds referred to in subparagraph (1) shall be routed through the designated AD bank in India:

(3) Notwithstanding anything contained in these rules, any investment under these rules by mutual funds, Venture Capital Funds and Alternative Investment Funds shall be treated as OPI.

Explanation.— For the purposes of this paragraph, “Alternative Investment Fund” means any fund registered as such with the SEBI.

3. Opening of Demat Accounts by clearing corporations of stock exchanges and clearing members.— Any person, being a SEBI approved clearing corporation of a stock exchange and its clearing members, may acquire, hold and transfer foreign securities, offered as collateral by foreign portfolio investors and, subject to the guidelines issued by the SEBI from time to time,—

- (i) open and maintain Demat Account with foreign depositories;
- (ii) remit the proceeds arising due to such action, if any; and
- (iii) liquidate such foreign securities and repatriate the proceeds thereof to India.

4. Acquisition and transfer of foreign securities by domestic depository.— A domestic depository may acquire, hold and transfer foreign securities of a foreign entity, being the underlying security to issue Indian Depository Receipts as may be authorised by such foreign entity or its overseas custodian bank and the person investing in Indian Depository Receipts may either sell or continue to hold foreign securities in accordance with the conditions provided in these rules and the Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Regulations, 2022 upon conversion of such depository receipts.

5. Acquisition and transfer of foreign securities by AD bank.— An AD bank including its overseas branch may acquire or transfer foreign securities in accordance with the terms of the host country or host jurisdiction, as the case may be, in the normal course of its banking business.

Schedule V

[See rule 15]

Overseas Investment in IFSC by person resident in India

1. Overseas Investment in IFSC by person resident in India.— (1) Subject to the provisions of these rules and the Foreign Exchange Management (Overseas Investment) Regulations, 2022, a person resident in India may make Overseas Investment in an IFSC in India within the limits provided in these rules .

(2) A person resident in India may make Overseas Investment in an IFSC in the manner as laid down in Schedule I or Schedule II or Schedule III or Schedule IV:

Provided that –

- (i) in the case of an ODI made in an IFSC, the approval by the financial services regulator concerned, wherever applicable, shall be decided within forty-five days from the date of application complete in all respects failing which it shall be deemed to be approved;
- (ii) an Indian entity not engaged in financial services activity in India, making ODI in a foreign entity, which is directly or indirectly engaged in financial services activity, except banking or insurance, who does not meet the net profit condition as required under these rules, may make ODI in an IFSC.
- (iii) a person resident in India may make contribution to an investment fund or vehicle set up in an IFSC as OPI;
- (iv) a resident individual may make ODI in a foreign entity, including an entity engaged in financial services activity, (except in banking and insurance), in IFSC if such entity does not have subsidiary or step down subsidiary outside IFSC where the resident individual has control in the foreign entity.

(3) A recognised stock exchange in the IFSC shall be treated as a recognised stock exchange outside India for the purpose of these rules.

[F.No.27/4/2018 (E)-FT]

RAJEEV SAKSENA, Jt. Secy.